

फर्द अहकाम
 चण्डा देवी बनाम जगदीश का

नाम न्यायालय
 केस संख्या 09/12

नं. 1.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
	18/5/18	प्रसादसिंह कापीरर वीरे/अवकाश पर है। आज अग्रिम कार्यवाही दिनांक 28/5/18 को पेश हो।	
	28/5/18	आज यह पत्रावली न्याय आदेश द्वारा कैम्प कोर्ट शांति असेम्बली में पेश हुई। प्राथमिकी अर्थात् उपरोक्त प्राथमिकी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली काफी समय से कम्प नं. 12 के सम्बन्ध में पेश की जा रही है। सूत्र बाद तत्काल सुनवाई एवं प्राथमिकी निषेधाज्ञा का ही प्रकाण में दिनांक 06/01/12 को अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा को सूत्र बाद के निष्काण तक उभय पक्षों को पार्किंग काले हुए कन्कर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अब इस न्यायालय द्वारा जारी की गई अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा दिनांक 06/01/12 को तात्सुला बाद उभय पक्षों को पार्किंग काले हुए कन्कर्म की जा रही है। पत्रावली के सूत्र सुनाए गए हैं। उक्त न्याय से कम है तथा सूत्र बाद के साथ रहे।	चण्डा देवी

